रजिस्ट्री सं. डी एल--33001/92 REGISTERED NO. DL—33001/92

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 15] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 11, 1992 (चैत्र 22, 1914)
No. 15] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 11, 1992 (CHAITRA 22, 1914)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गईं विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिजर्व बैंक

कलकत्ता–700001, दिनांक 28 मार्च 1992

शुद्धि-पत्र

सं० डी० एफ० सी०/सी० ओ०/632/01.07 91–92—भारत के राजपत्र भाग–III खण्ड 4 दिनांक 28 सितम्बर, 1991 की अधिसूचना सं० डीएफसी (सी ओ सी) 60 डी जी (आर) 91 दिनांक 26 जुलाई, 1991 में की जाने वाली आवश्यक शुद्धियों का ब्यौरा:–

राजपत्र की पृष्ठ संख्या	प्रकाशन के लिए प्रेषित हमारी अधिसूचना की प्रतिलिपि में वर्णित ब्यौरा	राजपत्र में प्रकाशित ब्यौरा	आवश्यक शुद्धि का स्वरूप
1	2	3	4
2924	इसके द्वारा यह निवेश देता है कि–	इसके द्वारा यह निर्देश देता है कि–	शब्द निर्देश की जगह निवेश कर दिया जाए ।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 24 मार्च 1992

सं० यू० 16/53/ 89– वि० 2 (बिहार):—कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के तहत महानिदेशक को निगम की शक्तियां प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पास किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेश के आदेश संख्या–1024 (जी), दिनांक 23 मई, 1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर, मैं इसके द्वारा बिहार के चिकित्सा अधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, नामकुम, रांची को विद्यमान मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर दिनांक 01 मार्च, 1992 से 28 फरवरी, 1993 या किसी पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यभार ग्रहण करने तक, इनमें से जो भी पहले हों, रांची तथा हजारीबाग केन्द्र के बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता में संदेह होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने में प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता हूं ।

डा० (श्रीमति) ए० ए० अम्बेकर,
चिकित्सा आयुक्त

भारतीय जीवन बीमा निगम

बम्बई, दिनांक 23 मार्च 1992

जीवन बीमा निगम संशोधन विनियम, 1991

सं० 3/4/35/91—जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, जीवन बीमा निगम विनियम, 1959 को और आगे संशोधित करने के लिए एतद् द्वारा आगे लिखे विनियम बनाती है, जैसे :—

1. (1) इन विनियमों को जीवन बीमा निगम (संशोधन) विनियम, 1991 कहा जा सकता है,

(2) ये भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे ।

2. जीवन बीमा निगम विनियम, 1959 में, (जिनका उल्लेख यहां अब से बाद में "उक्त विनियम" के रूप में होगा), विनियम 5 की एवज में आगे लिखा विनियम रखा जायेगा जैसे :—

"5 सदस्यों को प्रत्येक बैठक की सूचना इतनी अवधि पहले दी जायेगी जो 15 दिन से कम की न हो । यदि कोई आपात-कालीन बैठक बुलाना आवश्यक हो जाएगा तो, प्रत्येक सदस्य को इतनी अवधि की सूचना दी जायेगी जो 3 दिन से कम न हो, ताकि वह बैठक में उपस्थिति हो सके । सदस्यों में से किसी को ऐसी कोई सूचना देने में अप्रत्याशित त्रुटि ऐसी किसी बैठक में पारित किसी प्रस्ताव को अमान्य नहीं ठहरायेगी" ।

3. उक्त विनियमों में, विनियम 12 क एवज में आगे लिखा विनियम रखा जायेगा जैसे :—

"12 निगम की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियां अगली बैठक की तिथि को या उससे पूर्व परिचालित की जाएंगी" ।

4. उक्त विनियमों में, विनियम 16 में, उप-विनियम (4) की एवज में आगे लिखा उप–विनियम रखा जायेगा, जैसे :—

"(IV) यदि बैठक करने के लिए नियुक्त समय से आधे घंटे के भीतर कोरम उपस्थित नहीं है तो, बैठक ऐसे समय, तिथि और स्थान के लिए स्थगित हो जाएगी जो अध्यक्ष द्वारा तय किया जाए, जो ऐसी बैठक के एक सप्ताह के भीतर होगी और जिसकी सूचना, जहां तक हो सके, सदस्यों को टेलीफोन से या तार से दी जायेगी" ।

5. उक्त विनियमों में, विनियम 23 में उप-विनियम (IV) की एवज में आगे लिखा विनियम रखा जाएगा :—

"यदि बैठक करने के लिए नियुक्त समय से आधे घंटे के भीतर कोरम उपस्थिति नहीं है तो, बैठक ऐसे समय, तिथि और स्थान को स्थगित हो जाएगी जो अध्यक्ष द्वारा तय किया जाए, जो एकसी बैठक के एक सप्ताह के भीतर होगी और जिसकी सूचना, जहां तक हो सके, सदस्यों को टेलीफोन से या तार से दी जायेगी" ।

6. उक्त विनियमों में, विनियम 32 में, खण्ड (क) की एवज में स्थान पर आगे लिखा खण्ड रखा जावेगा, जैसे :—

"(क) अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी होंगे और ऐसे सामान्य या विशेष अनुदेशों की शर्तें पर, निगम या इसकी किसी समिति द्वारा समय-समय पर दिए जायें, ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग करेंगे जिनका प्रयोग किया जा सकता हो और ऐसे कार्यों और विषयों को करेंगे जो इस अधिनियम की धारा 19 की उप-धाराओं (1) और (3) के अन्तर्गत नियुक्त निगम की किसी समिति द्वारा किए जा सकते हों" । अध्यक्ष द्वारा की गई कोई कार्रवाई उनके द्वारा उपयुक्त समिति को अगली बैठक की तिथि को या उससे पूर्व सूचित की जायेगी" ।

7. उक्त विनियमों में विनियम 34 की एवज में आगे लिखा विनियम रखा जायेगा, जैसे :—

"34 निगम की सभी समितियों की कार्यवाहियां सभी सदस्यों को उपयुक्त समिति की अगली बैठक की तिथि को या उससे पूर्व परिचालित की जायेंगी और रिकार्ड के लिए व जहां कहीं आवश्यक हो, वहां जानकारी के लिए निगम के समक्ष भी रखी जाएंगी"।

8. उक्त विनियमों में विनियम 36 में उप-विनियम (IV) की एवज में निम्नलिखित उप-विनियम रखा जाएगा, जैसे :—

"(IV) यदि किसी ऐसी संयुक्त बैठक को करने के लिए नियुक्त समय से आधे घंटे के भीतर कोरम उपस्थित नहीं है तो, बैठक ऐसे समय, तिथि और स्थान के लिए स्थगित हो जाएगी जो अध्यक्ष द्वारा तय किया जाए, जो ऐसी बैठक के एक सप्ताह के भीतर होगी और जिसकी सूचना जहां तक हो सके, सदस्यों को टेलीफोन से या तार से दी जाएगी"।

9. उक्त विनियमों में, विनियम 37 की एवज में आगे लिखा विनियम रखा जायेगा, जैसे :—

"37 प्रबंध निदेशक (किसी कार्यपालक प्रबंध निदेशक सहित) अध्यक्ष के अनुमोदन से और निगम अथवा निगम की किसी समिति की पूर्व स्वीकृति से किसी श्रेणी-I के अधिकारी या जैसी स्थिति हो, किसी ऐसे कर्मचारी को जो जो उच्च श्रेणी सहायक/अनुभाग प्रमुख की श्रेणी के नीचे का न हो, सभी या कोई भी शक्तियां प्राधिकार और अनुदेश जो निगम के व्यवसाय को कुशलतापूर्वक करने के लिए आवश्यक हों, प्रत्यायोजित या उप-प्रत्यायोजित कर सकते हैं"।

10. उक्त विनियमों में, विनियम 38 में, उप-विनियम (1) की एवज में आगे लिखा उप-विनियम रखा जायेगा, जैसे :—

"38 (1) निगम के प्रबंध निदेशक (किसी कार्यपालक प्रबंध निदेशक सहित) और निगम के केन्द्रीय कार्यालय में कार्यकारी निदेशक, भारत के अन्दर और भारत से बाहर के सभी भूभागों दोनों ही में निगम की ओर से सभी मुकदमों, अपीलों, आवेदनों और कार्यवाहियों के निष्पादन में भले ही वे निगम द्वारा या उसके विरुद्ध हों, या जिसमें निगम एक पक्षकार हो निगम की ओर से शुरू कर सकते हैं, चला सकते हैं, बचाव कर सकते हैं, और निगम की प्रतिनिधित्व कर सकते हैं और इसके अतिरिक्त वे ऐसी सभी याचिकाएं आवेदन और अभ्यावेदन कर सकते हैं और वकीलों, सॉलीसीटरों, नोटरियों और अन्य विधिक व्यवसाय के व्यक्तियों के नियोजन के लिए सभी उपस्थितियों और मुखतारी के वारंटों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं और उनका निष्पादन कर सकते हैं और सभी बहसों, अपील के ज्ञापन, याचिकाओं, प्रति-याचिकाओं, अभ्यावेदनों, आवेदनों, प्रत्यापत्तियों, निष्पादन के लिए आवेदनों, सभी विधिक प्रलेखों चाहे वे किसी भी स्वरूप के हों, पर हस्ताक्षर कर सकते हैं और उन्हें सत्यापित कर सकते हैं, और सभी स्वीकृतियां और सहमति दे सकते हैं और न्यायिक या अर्धन्यायिक निकायों के न्यायालय के सम्मनों के हुक्मनामों और अन्य सभी वादों को प्राप्त कर सकते हैं। प्रबंध निदेशक पूर्वोक्त किसी भी प्राधिकार को केन्द्रीय कार्यालय के किसी ऐसे अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकता है जो सहायक मण्डल प्रबंधक से नीचे की श्रेणी का न हो"।

क्. प० नरसिम्हन,
प्रबंध निदेशक

श्रम मंत्रालय

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय

नई दिल्ली-110 001, दिनांक 27 मार्च 1992

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जम/89/भाग-1/1274—जहां मैसर्स थानजावुर टैक्सटाइल्स लि., वैलम वन रोड, थानजावुर-613 005 को सं. (टी. एन./4487) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अंतर्गत छूट विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है। (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना सं. 2/1959/डी. एल. आई./89 दिनांक 14-6-89 के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं, दिनांक 4-6-91 से 3-6-94 तक लागू होगा जिसमें यह तिथि 3-6-94 भी शामिल है।

अनुसूची-I

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसके बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते है तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों की बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एग्जाम/89/भाग-1/1282—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे है, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गई है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-2 में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं, जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया गया है ।

अनुसूची–I

क्रम संख्या	स्थापना का नाम और पता	कोड संख्या	स्थापना की छूट बढ़ाने के लिए भारत सरकार के अधिसूचना की संख्या तथा तिथि	पहले से प्रदान की गई छूट है	अवधि जिसके लिए और छूट दी है	के० भ० नि० आ० फाइल संख्या
1.	मैसर्स बलारपुर इन्डस्टीज लिमिटेड पेपर डिविजन (पेपर मिल्स) यूनिट, श्री गोपाल पो० आ० यमुनानगर जिला–अम्बाला	पी० एन०/11	2/1959/डी० एल० आई/एक्जाम/89 पार्ट –1, दिनांक 21-9-90	28–2–90	1–3–90 से 28–3–93	2/1271/89–डी० एल० आई०
2.	मैसर्स टेकनोलोजिकल इन्सटीट्यूट आफ टैक्सटाईल्स एण्ड साईन्सिस पो० आ० बिरला कालोनी, भिवानी –125022, हरियाणा	पी० एन०/96	2/1959/डी० एल० आई०/एग्जाम/89–पार्ट–1 दिनांक 24–9–90	28–2–90	1–3–90 से 28–2–93	2/3080/90 डी० एल० आई०

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निदेश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधि वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-1/1290—जहां मैसर्स कुम्बाकोनम रूरल इलैक्ट्रिक कोआपरेटिव सोसायटी लि., पी. बी. नं. 8, बिश्व हाउस एक्सटैन्शन, कामाराज रोड, कुम्भाकोना-612 001, कोड नं. (टी. एन./16814) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है । (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्थापना को उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त त्रिचि ने स्कीम की धारा 28 (7) के अंतर्गत ढील प्रदान की है, 1-3-89 से 28-2-92 तक की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं ।

अनुसूची–II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा (3-क) के खंड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमीयम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रोत्कर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिशों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एरजाम/89/भाग-1/1298—जहां मैसर्स टी. जी. एल. गोपाल-सेठी पोलिटेक्निक अडोनी-518 301, कुरनूर-डिस्ट्रिक्ट (कोड संख्या ए. पी./18638) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है । (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्थापना की उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त आन्ध्र प्रदेश ने स्कीम की धारा 28 (7) के अंतर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं । (दिनांक 1-12-90 से 30-11-93 तक) ।

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा परीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा (3-क) के खंड-क के अधीन समय-समय पर निदेश करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एग्जाम/89/भाग-1/1306—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गई है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-2 में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं, जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के समय दर्शाया गया है ।

अनुसूची–I

क्रम सं०	स्थापना का नाम व पता	कोड संख्या	स्थापना की छूट बढ़ाने के लिए भारत सरकार की अधिसूचना की संख्या तथा तिथि	पहले से प्रदान की गई छूट की समाप्ति की तिथि	अवधि जिसके लिए और छूट दी गई है ।	के० भ० नि० आ० फाइल संख्या
1.	मैसर्स नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, खनिज भवन, 10–3–311 ऐ कस्टल हिल्ज, मसब टैंक, हैदराबाद –500028 (ए० पी०) साथ में इसकी सभी शाखाएं जो इस कोड नं० के एन०/5712, एम० पी०/1444, एम० पी०/2278 और एम० पी०/2279 में स्थित है ।	ए० पी०/3676	2/1959/डी० एल० आई०/एग्जाम/89/1449/भाग–I, दिनांक 13–2–90	27–8–91	28–8–91 से 27–8–94	2/285/79–डी० एल० आई०
2.	मैसर्स आन्ध्रा प्रदेश स्टेट पुलिस हाऊसिंग कारपोरेशन लि० डायरेक्टर, जनरल आफ पुलिस आफिस , कम्पाउण्ड, सैफाबाद, हैदराबाद–500004	ए० पी०/6149	2/1959/डी० एल० आई०/एग्जाम/89/7865, दिनांक 26–10–90	28–2–90	1–3–90 से 28–2–93	2/2910/90–डी०एल०आई०

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है।) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते है तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन सब सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एरजाम/89/भाग-1/1314—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे है, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची-2 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम, प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने (अनुसूची-1 में) उल्लिखित पिछली तारीखों से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त गुजरात ने स्कीम की धारा 28(7) के अंतर्गत छूट प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं ।

अनुसूची–I

गुजरात :

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड सं०	छूट की प्रभावी तिथि	के० भ नि० आ० फाइल सं०
1	2	3	4	5
1.	मै० दा सूरत डिस्ट्रिक्ट को०–आ० सीपिंनिंग मिल्स लि० वरचा रोड, सूरत–395006	जी० जे०/4140	1–7–88 से 30–6–91	2/3864/91
2.	मै० डाया जेटेक्स प्लाट नं० 72, जी० आई० डी० सी०, पंदेशरा, डिस्ट्रिक, सूरत	जी० जे०/16819	1–11–90 से 31–10–93	2/3876/91

अनुसूची–

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत सामूहिक बीमा प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ घटाये जाते है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति-युक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते है तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

बी. एन. सोम
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

नाजिम

दरगाह ख्वाजा साहब

अजमेर, दिनांक 23 मार्च 1992

वार्षिक प्रशासन रिपोर्ट दरगाह कमेटी, वर्ष 1988–89

1. प्रस्तावना—दरगाह कमेटी के समक्ष वर्ष 1988–89 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का यह मेरा सौभाग्य है।

2. इस वर्ष की दरगाह कमेटी के निम्नलिखित सदस्य व पदाधिकारी थे:—

1.	जनाब एम०एम० फारूकी	अध्यक्ष
2.	जनाब मो० जमां आरिफ	उपाध्यक्ष
3.	जनाब ईस्माइल एम० वावला	सदस्य
4.	जनाब हसन सानी निजामी	सदस्य
5.	जनाब जान मो० खान	सदस्य
6.	जनाब रईस मियां चिश्ती	सदस्य
7.	जनाब शाह हुसैन अहमद अहमदी	सदस्य
8.	जनाब ख्वाजा अहमद निजामी	सदस्य
9.	जनाब अब्दुल रहमान खान नश्तर	सदस्य
10.	जनाब लै० कर्नल मो० उसमान	सचिव/ नाजिम

3. जनाब एम० एस० फारूकी तथा जनाब मोहम्मद जमान आरिफ क्रमशः इस वर्ष 1988–89 में दरगाह कमेटी के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष रहे ।

4. जनाब अब्दुल रहमान खान नश्तर कानपुर की मृत्यु 06 अक्तूबर 1988 को हुई, और तब से 31 मार्च, 1989 तक कोई भी उनके स्थान पर सदस्य दरगाह कमेटी मनोनीत नहीं किया गया।

5. वित्तीय स्थिति :—

तुलनात्मक दरगाह ख्वाजा साहब की वर्ष 1987–88 व 1988–89 की वित्तीय स्थिति इस प्रकार रही :—

गत वर्ष की शेष राशि	1 अप्रैल 1977 (रु०)	1 अप्रैल 1988 (रु०)
चालू	4,85,494.00	9,43,019.00
मियादी जमा	5,31,000.00	10,61,371.00
प्रतिभूतियां	2,000.00	2,000.00
कुल	10,18,494.00	20,60,390.00

इस वर्ष की प्राप्ति राशि (रिसीप्ट)	1987–88	1988-89
राजस्व	26,90,255.00	29,44,977.00
पूंजी	33,652.00	1,57,101.00
ऋण	5,00,000.00	5,00,000.00
कुल	32,25,907.00	36,02,078.00

इस वर्ष का व्यय:—	1987–88	1988–89
राजस्व	20,65,162.00	21,05,490.00
पूंजी	1,72,849.00	7,45,122.00
कुल	22,38,011.00	28,50,612.00

क्लोजिंग बैलेंस	31 मार्च 1988	31 मार्च 1989
चालू	9,43,019.00	9,54,484.00
मियादी जमा	10,61,371.00	18,01,871.00
प्रतिभूतियां	2,000.00	2,000.00
कुल	20,06,390.00	27,57,855.00

6 गुम्बद शरीफ का पुनः प्लस्तर :—

गुम्बद शरीफ का पुनः प्लस्तर का कार्य दरगाह कमेटी द्वारा सितम्बर, 1988 के अन्तिम सप्ताह में प्रारंभ किया गया। तथा 31 जनवरी 1989 को पूर्ण कर लिया गया। कारीगरों ने प्रतिदिन लगभग चार महीने कार्य कर, पुराना संदला (प्लास्टर) पूर्णतया हटा दिया व नया प्लस्तर किया संदले पर स्वर्णकार्य भी किया गया स्वर्ण कार्य ज्यादा टिकाऊ व स्थायी रहे, इस लिए तांबे की पत्तियों पर किया गया है। नई बत्तियां भी लगाई गई है।

8. दरगाह बंगलो, सिविल लाइन्स, अजमेर में व्यापारिक-कम-रिहाशी काम्प्लेक्स का निर्माण :— निर्माण कार्य, मई 1988 से चल रहा है। नक्शे में ग्राउण्ड फ्लोर पर 11 दुकानें, 2 हाल और चार कमरे हैं व प्रथम व द्वितीय फ्लोर पर 12 स्वतंत्र फ्लैट हैं।

9. प्रस्तावना भविष्य निधि योजना और दरगाह कर्मचारियों के वेतन का नवीनीकरण :—यद्यपि पिछले छः वर्षों में स्टाफ के वेतन में मूल वृद्धि की गई, लेकिन अन्य समानान्तर संस्थाओं जैसे वक्फ बोर्ड मस्जिद कमेटी (अजमेर) और केन्द्रीय वक्फ काऊंसिल नई दिल्ली के कर्मचारियों के वेतन व भत्ते के बराबर नहीं हैं। अतः वेतनमान का प्रस्ताव और भविष्य निधि योजना की प्रस्तावना के संबंध में दरगाह कमेटी ने अपनी मीटिंग दिनांक 09 व 10 अक्तूबर 1988 को रेजोलेशन नं० 15 पारित किया है। वेतनमान बदले जा चुके हैं और भविष्य निधि के संबंध में नियमावली विचाराधीन है।

10 झालरे की गहरी खुदाई :— जिला प्रशासन की सहायता से झालरें की सफाई की गई। इसी समय गहरी खुदाई भी की गई। यह पानी की सप्लाई में वृद्धि करने में अधिक लाभदायक सिद्ध हुआ।

11 उर्स मुबारक हजरत ख्वाजा गरीब नवाज (र० ह०) :— ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती (रह) गरीब नवाज का उर्स 01 रजब 1409 हिजरी तदानुसार 08 फरवरी 1989 ई० और बड़ा चुल 09 रजब 1409 तदानुसार 16 फरवरी 1989 के पश्चात पूरा हुआ। उर्स के प्रथम तीन दिनों के दौरान जायरीनों की भीड़ एक जैसी रही लेकिन चौथे दिन जायरीन की भीड़ में अचानक वृद्धि हुई। 08 रजब और 10 रजब को लगभग ढाई लाख जायरीन ने जुम्मे की नमाज अदा की। सभी कार्य बहुत अच्छी तरह पूर्ण हुए और दरगाह व जिला प्रशासन की कठोर सतर्कता व कठिन प्रशासनिक व्यवस्था की वजह से जुम्मे की नमाज शांतिपूर्वक अदा हुई। पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक भीड़ की आशा करते हुए दरगाह प्रशासन ने महावीर सर्किल क्लॉक टावर व त्रिपोलिया गेट तक लगभग 100 लाउड स्पीकर लगवाये, दरगाह प्रशासन के द्वारा दरगाह शरीफ में क्लोज टी० वी० सर्किट लगवाया गया। कुल 06 रजब तदानुसार 13 फरवरी 1989 को हुआ। सभी रस्में व क्रियायें परम्परा व क्रियाओं के अनुसार अच्छी तरह से पूर्ण हुई। पूरे उर्स शरीफ में सभी प्रबन्ध विशेषकर पुलिस जल व्यवस्था, बिजली, स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था व सफाई अच्छी व संतोषप्रद रही।

निम्नलिखित विभागों ने प्रथम समय गैस्ट हाउस परिसर में अपने काउंटर लगवायें।

बैंक काउंटर, पोस्ट आफिस, तार आफिस और रोडवेज आरक्षण काउंटर।

आल इंडिया स्काउट्स, भारत स्काउट्स और गाइडस इलाहाबाद और स्थानीय स्काउट्स को सेवाओं के लिए निवेदन कर बुलवाया गया जिन्होंने महान उत्साह और श्रद्धा के साथ कार्य किया।

पूछताछ केन्द्र बुलंद दरवाजे पर लगाया गया, जिसने चौबीसों घंटे कार्य किया। उन्होंने कई गुमशुदा बच्चों को उनके माता पिता से मिलाने में सहायता की और जायरीन का विभिन्न प्रकार से मार्ग दर्शन किया। दरगाह परिसर में जायरीन के निःशुल्क इलाज हेतु पांच दवाखाने लगवाये गए।

इस वर्ष 150 पाकिस्तानी जायरीन का ग्रुप आया जो उर्स मुबारक में शरीक हुआ और पवित्र मजार पर चादर चढ़ाई।

12. दरगाह शरीफ की रस्में : ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती और पीरों मुर्शिद ख्वाजा उसमान हारुनी (रह) का वार्षिक उर्स व छठी शरीफ चौदहवीं शरीफ व अन्य जुमेरात की महफिलें संतोषजनक तरीके से सम्पन्न हुई। खुलफाऐं-राशेदीन का एरास, मुहर्रम शरीफ व ईद मिलाउन नबी भी नियमित व सही तरीके से सम्पन्न हुई।

13. हिसाब का आडिट : महा लेखाकार राजस्थान द्वारा दरगाह के हिसाब का वर्ष 1988-89 का आडिट किया गया। हिसाब सही तरीके से रखे गये थे इसलिए आडिट ने कोई भी गंभीर एतराज प्रकट नहीं किया। आडिट रिपोर्ट अलग से संलग्न है।

14. गणमान्य अतिथि :(वी० आई० पी०) :—इस वर्ष के दौरान कुछ गणमान्य व अति गणमान्य व्यक्तियों ने ख्वाजा साहब के पवित्र मजार की जियारत श्रद्धापूर्वक की। जिसका वर्णन नीचे दिया गया है :—

(1) माननीय श्री राजीव गांधी—प्रधानमंत्री—भारत सरकार

(2) माननीय श्री प्रेमदासा—प्रधानमंत्री—श्री लंका

(3) माननीय डॉ० फारुक अब्दुल्लाह—मुख्यमंत्री जम्मू काश्मीर

(4) डॉ० राजेन्द्र कु० वाजपेयी—राज्यमंत्री—समाज

कल्याण विभाग,
भारत सरकार नई दिल्ली।

15. कल्याणकारी गतिविधियां तथा आर्थिक सहायता :—वर्ष 1988–89 में निम्नलिखित खर्चे कल्याणकारी तथा सामाजिक गतिविधियों पर व्यय किये गये ।

(1) मेडीकल तथा टेक्नीकल विद्यार्थियों को सहायता:—रुपये 17,730 (सत्रह हजार सात सौ तीस रुपये) की राशि योग्य तथा जरूरतमंद 15 छात्रों 100/- प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति देने में व्यय हुए ।

(2) विधवाओं तथा जरूरतमंदों की सहायता :—रु० 47,368 (सैतालीस हजार तीन सौ अडसठ रुपये) की आर्थिक सहायता 170 खादिमों, गैर खादिमों परिजादगान्स व अन्य स्थानीय व अजमेर से बाहर की विधवाओं को मदद के रूप में खर्च किये ।

(3) तजहीज ओ–तफकीन—(लावारिस लाशों को दफनाने में) रुपये 18,466 (अठारह हजार चार सौ छियासठ रुपये) की राशि लावारिस लाशों को जो दफनाने का खर्च वहन नहीं कर सकते थे पर व्यय किय गये ।

(4) रुपये 18,646 (अठारह हजार छः सौ छियालीस रुपये) की राशि गरीब विद्यार्थी, गरीब मां-बाप तथा सादिरन–ओ–वादिर व जेकट से पीड़ित लोगों को इस वर्ष मदद की गई ।

(5) मो० अली मेमोरियल हायर सैकण्डरी स्कूल ब्यावर की प्रबन्धक कमेटी को 500/- प्रतिमाह दिये गये तथा संस्था में धार्मिक शिक्षा के लिये भी सुझाव दिया गया ।

(6) स्टाफ व अन्य को चिकित्सा सहायता :—रु० 6,848 (छः हजार आठ सौ अडतालीस) की राशि स्टाफ व अन्य के चिकित्सा सहायता के रूप में व्यय की गई ।

(7) डिस्पेन्सरियों को मुफ्त दवायें प्रदान करना :—दरगाह कमेटी द्वारा दो दवाखाने होम्योपैथी व यूनानी नियमित रूप से चलाये जा रहे हैं । इन दोनों दवाखानों पर 27,800/–रुपये की राशि व्यय की गई ।

16. रमजान पर लंगर तथा इफ्तार :—रमजान के अवसर पर लगभग 300 रोजदारों को प्रतिदिन दो समय समुचित खाना दिया गया इसके अतिरिक्त रमजान के पूरे महीने कार गृह के कैदियों को इफ्तारी बर्फ, चीनी, खजूर आदि का प्रबन्ध इन कैदियों के लिये किया गया जो रोजे रख रहे थे । इस मद में 22,100/–रुपये व्यय किये गये ।

17. प्रतिदिन का लंगर :—दरगाह शरीफ में बिना किसी भेदभाव के दोनों समय मुफ्त लंगर वितरित किया जाता है इस मद में वर्ष 1988–89 में 90,950 रुपये का व्यय हुआ ।

18. दरगाह कमेटी की मीटिंग :—इस वर्ष चार बार दरगाह कमेटी की मीटिंग हुई एक आपातकालीन मीटिंग भी जनवरी 1989 में सम्पन्न की गई जिसमें नाजिम के पद के लिये आने वाले उम्मीदवारों का साक्षात्कार द्वारा चयन किया जाना था ।

19. सारांश :—दरगाह प्रशासन के चहुंमुखी विकास के लिय मुख्य रूप से अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सदस्य दरगाह कमेटी द्वारा मूल्यवान सुझाव व आदेश दिये गये जिन्हें दरगाह स्टाफ के कर्मचारीगण ने ईमानदारी व आज्ञाकारी से पूर्ण कर दरगाह प्रशासन को सहयोग दिया ।

मै, इन सभी का आभारी हूं ।

नाजिम
दरगाह ख्वाजा साहब अजमेर

वर्ष 1988–89 के लिए दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

प्रस्तावना :—

1. ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह तथा इनके धर्मादा जिसे सामान्य तथा "दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर" के नाम से जाना जाता है के उचित प्रशासन हेतु वर्ष 1955 से संसद द्वारा "दरगाह ख्वाजा साहब अधिनियम" पारित किया गया । इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दरगाह के धर्मादा में निम्न सम्मिलित हैं :—

(अ) दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर

(ब) दरगाह शरीफ की सीमा में सभी इमारतें तथा चल सम्पत्ति ।

(स) दरगाह जागीर जिसमें दरगाह शरीफ से संबंधित सभी भूमि, भवन, दुकानें, तथा सभी अचल सम्पत्ति जहां भी स्थित हो, शामिल है ।

(द) अन्य सभी सम्पत्ति तथा सारी आय किसी भी स्त्रोत से दरगाह को समर्पित हो अथवा धार्मिक पाक खैराती उद्देश्यों के लिये दरगाह प्रशासन के अधीन रखी गई हो जिसमें अजमेर के होकर न तथा किशनपुर गांवों की जागीरदारी भी सम्मिलित है ।

(र) दरगाह की ओर से नाजिम अथवा अन्य व्यक्ति जो इसके द्वारा प्राधिकृत हों को प्राप्त सभी नजरानों तथा भेंट की आय ।

1.2 दरगाह की प्रशासन नियन्त्रण तथा व्यवस्था "दरगाह समिति अजमेर" नामक समिति में निहित है । समिति की राय से केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त नाजिम के जरिये समिति अपने कार्य सम्पन्न करती है । दरगाह प्रशासन का मुख्य अधिशासी अधिकारी नाजिम होता है जो समिति के सचिव की भांति भी कार्य करता है ।

1.3 उपरोक्त अधिनियम की धारा 19 (टी) के अधीन दरगाह के लेखों का उपेक्षित है । दरगाह के लेखों की लेखा परीक्षा भारत सरकार द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 20 (1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सौंपी गई है ।

1.4 दरगाह ख्वाजा साहब अधिनियम, 1955 की धारा 19 (2) निर्धारित करती है कि समिति प्रत्येक वर्ष दरगाह के प्रशासन पर एक प्रतिवेदन तैयार करेगी जो लेखों तथा लेखों पर लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन के साथ सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होगी ।

2. लेनदेन का सारांश :— वर्ष के प्रारम्भिक में प्रारम्भिक शेष 20.06 लाख रुपये था (जिसमें प्रतिभूति एवं स्थायी जमा के रुपये 10.63 लाख सम्मिलित थे) वर्ष कुल प्राप्तियां 36.02 लाख रुपये थी । 28.50 लाख रुपये के व्यय कुल व्यय 36.20 लाख रुपये में से 8.70 लाख रुपये स्थायी जमा में निवेश करने के बाद शेष करने के बाद 31 मार्च 1989 को अन्तिम शेष 27.58 लाख रुपये रहा । जिसमें से 18.03 लाख रुपये प्रतिभूति एवं स्थायी जमा में निवेशित किये गये ।

3. आय व्यय लेखों का उपचय (अकुअल) आधार पर नहीं बनाया जाना :—दरगाह प्रशासन द्वारा वर्ष 1988–89 के लिए केवल वास्तविक आय एवं व्यय का विवरण बनाया गया । आय-व्यय लेखे अकुअल आधार पर बनाये जाने चाहिये थे । जिससे संबंधित वर्ष की समस्त आय चाहे वह प्राप्त हुई हो या नहीं, जमा की जानी चाहिये एवं व्यय चाहे भुगतान किया गया हो या नहीं प्रभारित किया जाना चाहिए । अतः दरगाह प्रशासन द्वारा बनाये गये लेखे वास्तव में प्राप्ति एवं भुगतान लेखे थे । इस कमी को पिछले वर्ष भी इंगित किया गया था नाजिम द्वारा मामला कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली को लेखे बनाने की वर्तमान पद्धति के अनुमोदन हेतु संदर्भित किया गया । नाजिम द्वारा बताया गया (नवम्बर 1989) कि मंत्रालय से जवाब प्राप्त हो गया है एवं मामले को दरगाह समिति को दिसम्बर 1989 में वर्तमान पद्धति के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा ।

4. बेलेन्स शीट का नहीं बनाया जाना :—दरगाह प्रशासन द्वारा प्रारम्भ से ही बेलेन्स शीट बनायी गई जिसके परिणामस्वरुप दरगाह ख्वाजा साहब की वर्ष 1988–89 के अन्त में "सम्पत्ति एवं दायित्व की सही स्थिति आकलन योग्य नहीं थी । इस कमी को प्रति वर्ष लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के द्वारा दरगाह प्रशासन के ध्यान में लाए जाने के पश्चात भी बेलेन्स शीट बनाने हेतु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई (नवम्बर 1989) नाजिम द्वारा सूचित किया गया (नवम्बर 1989) कि इस विषय में दरगाह समिति द्वारा आगामी बैठक में विचार किया जायेगा ।

अचल सम्पत्ति के अतिरिक्त दरगाह के गुम्बद शरीफ, मुख्य तोशाखाना एवं सहायक तोशाखाना में सोने व चांदी की कई बहुमूल्य वस्तुएं हैं जिनको दरगाह ख्वाजा साहब के लेखों में लेखाबद्ध किया जाना एवं दर्शाया जाना आवश्यक है जिससे उनकी सम्पत्ति का पूर्ण विवरण प्रदर्शित हो सके ।

पी० के० ब्रह्मा
महालेखाकार (लेखा परीक्षा) राजस्थान
जयपुर

स्थान : जयपुर

दिनांक :

लेखा परीक्षा प्रमाण–पत्र

मैंने 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये दरगाह ख्वाजा साहिब, अजमेर के प्राप्ति और भुगतान लेखों की जांच कर ली है । मैंने अभी अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिये हैं और संलग्न लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में दी गई अभ्युक्तियों के अध्यधीन अपनी लेखा परीक्षा के परिणामस्वरूप मैं प्रमाणित करता हूं कि मेरी राय में और मेरी सर्वोत्तम सूचना और मुझे दिये गये स्पष्टीकरणों और संगठन की बहियों में किये गए उल्लेख के अनुसार ये लेखे उपयुक्त रूप से तैयार किये गये है, और दरगाह ख्वाजा साहिब, अजमेर के कार्यकलाप की सही और उचित रूप प्रस्तुत करते हैं ।

महालेखाकार (लेखा परीक्षा)
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान : जयपुर

दिनांक :

RESERVE BANK OF INDIA

Calcutta-700001, the 28th March 1992

CORRIGENDA

No. DFC/CO/632/01 .07/91-92—Particulars of corrections necessary in the Notification No. DFC(COC)59/DG(R)/91 dated 26th July 1991 as it appeared in the Gazette of India, Part III—Section 4, dated 28th September, 1991.

Paragraph No.	Page No. of the Gazette	Particulars as appearing in the copy of our Notification sent for publication	Particulars as published in the Gazette	Nature of corrections necessry
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3 In paragraph 12	2984	Begore the words "on that day" the following shall be inserted.	Before the words "on that day" the following shall be interest.	"interest" should be changed to "inserted."

Particulars of corrections necessary in the Notification No. DFC(COC)/60/DG(R)-91 dated 26th July 1991 as is appeared in the Gazette of India, Part III-Section 4, dated 28th September, 1991

Page No. of the Gazette	Particualrs as appearing in the copy of our Notification sent for publication	Particulars as publsihed in the Gazette	Nature of correction necessary
(1)	(2)	(3)	(4)
2984	In paragraph 9A and 9A(a)' for the words "April 1, 1981"..	In paragraph 9A and (a), for the words "April 1, 1981"	"9A" should be inserted before (a), (after correction it sould read "In paragraph 9A and 9A(a)....")

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 24th March 1992

No. U-16/53/89-Med. II (Bihar).—In pursuance of the Resolution passed by E.S.I. Corporation at its meeting held on 25th April, 1951, conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the E.S.I. (General) Regulations 1950, and such powers having been further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23-5-1983, I hereby authorise the Medical Superintendent, ESI Hospital, Namkum, Ranchi, as Part-time Medical Referee, for Hazaribagh and Ranchi Centre at a monthly remuneration as per existing norms, w.e.f. 1-3-1992 to 28-2-1993 and authorise him to function as Medical Authority for one year or till a full-time Medical Referee joints, whichever is earlier for the purpose of medical examination of the Insured persons and grant of further certificates to them, when the corectness of the original certificates is in doubt.

DR. (MRS.) A. A. AMBEKAR
Medical Commissioner

LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

Bombay, the 23rd March 1992

LIFE INSURANCE CORPORATION (AMENDMENT) REGULATIONS, 1991

No. 3/4/35/91.—In exercise of the powers conferred by Section 49 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956) the Life Insurance Corporation of India, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following Regulations further to amend the Life Insurance Corporations Regulations, 1959, namely :—

1. (1) These Regulations may be called the Life Insurance Corporation (Amendment) Regulations, 1991;

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Gazette of India.

2. In the Life Insurance Corporation Regulations, 1959 (hereinafter referred to as the "said Regulations"), for Regulation 5, the following Regulation shall be substituted, namely :—

"5. Not less than 15 days notice of each meeting shall be given to the Members. If it shall become necessary to convene an emergency meeting, notice of not less than three days shall be given to every Member in order to enable him to attend. Any accidental omission to give any such notice to any of the Members shall not invalidate any resolution passed at any such meeting".

3. In the said Regulations, for Regulation 12, the following Regulation shall be substituted, namely :—

"12. The proceedings of every meeting of the Corporation shall be circulated to the Members on or before the date of the next meeting".

4. In the said Regulations, in Regulation, 16, for sub-regulation (iv), the following sub-regulation shall be substituted, namely :—

"(iv) If within half an hour from the time appointed for holding the meeting the quorum is not present, the

meeting shall stand adjourned to a time, date and place to be decided by the Chairman which shall be within a week of such meeting and which shall be intimated to the Members, so far as may be, telephonically or telegraphically".

5. In the said Regulations, in Regulation 23, for sub-regulation (iv), the following sub-regulation shall be substituted namely :—

"(iv) If within half an hour from the time appointed for holding the meeting the quorum is not present, the meeting shall be adjourned to a time, date and place to be decided by the Chairman which shall be within a week of such meeting and which shall be intimated to the members, so far as may be, telephonically or telegraphically".

6. In the said Regulations, in Regulation 32, for clause (a), the following clause shall be substituted, namely :—

"(a) The Chairman shall be the Chief Executive and shall, subject to such general or special directions as the Corporation or any of its Committees may from time to time give, exercise all such powers as may be exercised and do such acts and things as may be done by any of the Committees of the Corporation appointed under sub-sections (1) and (3) of Section 19 of the Act.

Any action taken by the Chairman shall be reported by him to the appropriate Committee on or before the date of the next meeting."

7. In the said Regulations, for Regulation 34, the following Regulation shall be substituted, namely :—

"34. Proceedings of all the Committees of the Corporation shall be circulated to all the Members on or before the date of the next meeting of the appropriate Committee and shall also be placed before the Corporation for record and where necessary, for information."

8. In the said Regulations, in Regulation 36, for sub-regulation (iv), the following sub-regulation shall be substituted, namely :—

"(iv). If within half an hour from the time appointed for holding any such joint meeting the quorum is not present, the meeting shall stand adjourned to a time, date and place to be decided by the Chairman, which shall be within a week of such meeting and which shall be intimated to the Members, so far as may be, telephonically or telegraphically".

9. In the said Regulations, for Regulation 37, the following Regulation shall be substituted, namely :—

"37. The Managing Directors (including any Acting Managing Director) may, with the approval of the Chairman, and with the prior sanction of the Corporation or any Commitee of the Corporation, delegate or sub-delegate to any Class I Officer, or as the case may be, to an employee not below the rank of Higher Grade Assistant / Section Head all or any of the powers, authorities and discretions which may be necessary for the efficient conduct of the business of the Corporation".

10. In the said Regulations, in Regulation 38, for sub-regulation (i) the following sub-regulation shall be substituted, namely :—

"38(i) The Managing Direcors of the Corporation (including any Acting Managing Director) and the Executive Directors at the Central Office of the Corporation may, both within India and in all territories outside India, institute, conduct, defend and represent the Corporation in all suits, appeals, applications and execution proceedings by or against the Corporatioin or to which the Corporation may be a party and in addition they may make all such petitions, applications, and representations and sign and execute all appearances and warrants of attorney for engagement of advocates, solicitors, notaries and other legal professional persons and sign and verify all pleadings, memoranda of appeal, petitions, counter-petitions, representations, applications, cross-objections, applications for execution and all legal documents of whatsoever nature and make all affidavits and declarations and give all sanctions and consents on behalf of the Corporation and accept service of writs of summons and all other processes of Court of judicial or semi-judicial bodies. The Managing Director may delegate any of the authorities aforesaid to any Officer of the Central Office not below the rank of Assistant Divisional Manager."

K. P. NARASIMHAN
Manging Director

MINISTRY OF LABOUR

OFFICE OF THE CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

New Delhi-110 001, the 27th March 1992

No. 2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt/1274.—WHEREAS M/s. Thanjavur Textiles Ltd. Vallam One Road, Thanjavur-5, have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment is, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance hich are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976, (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour C.P.F.C Notification No. 2 1959/DLI/Exempt/89/Pt. I Dated 14-6-89 and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, B. N. SOM, hereby exempt the above said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years with effect from 4-6-91 to 3-6-94 up to and inclusive of the 3-6-94.

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-Section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submissionof returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, if employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under

the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employees the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the Provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees' his approval, give a reasonable apportunity to the employee to expain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s) legal heirs(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s), Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complets in allrespect.

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt. 1/1282.—WHEREAS THE employers of the establishments mentioned in Schedule I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellancious Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under theEmployees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976, (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the establishment and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, B. N. SOM, hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the provisions of the said scheme for a further period of 3 years as indicated in attached Schedule--I against their names.

SCHEDULE-I

REGION HARYANA

Sl. No.	Name & Address of the estt.	Code No.	No. & Date of the Govt's Notification vide which exemption was granted/ extended	Date of expiry of earlier exemption	Period for exemption further extended	C.P.F.C's File No.
1	2	3	4	5	6	7
1.	M/s. Ballarpur Industries Ltd., Paper Division, Paper Mills Unit Shree Gopal, Yamuna Nagar, P. O. Distt. Ambala.	PN/11	2/1959/DLI/Exam/ 89/Pt. I/dated 21-9-90	28-2-90	1-3-90 to 28-2-93	2/1271/84/DLI/
2.	M/s. Technological Intitute of Textiles and Sciences, P .O. Birla Colony, Bhiwani, 125022, Haryana.	PN/96	2/1959/DLI/Exam/89/ Pt. I/5474/dated 24-9-90	28-2-90	1-3-90 to 28-2-93	2/3050/90/DLI/

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-Section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submissionof returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, if employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employees the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nomiee-(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the Provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees' his approval, give a reasonable apportunity to the employee to expain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s) legal heirs(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complets in all respect.

No. 2/1959/EDLI/Exemp./89/Pt./1290.—WHEREAS M|s. Kumbakonam Rural Electric Co-op. Society Ltd., P.B. No. 8, Bishop House Extn. Kamaraj Road, Kumbakona 612001. Code No. (TN/16814) have applied for exemption under subsection 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellanceous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment is, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976, (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule. I annexed hereto, I B. N. SOM, hereby exempt the above said establishment with retrospective effect from which date relaxation order under Para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, Trichy from the operation of the said Scheme for and upto a period of 3 years from 1-3-89 to 28-2-92.

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-Section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employees the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nomiee-(s)/legal heirs(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the Provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees' his approval, give a reasonable apportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s) legal heirs(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims completes in all respect.

No. 2/19559/EDLI/Exemp./89/Pt.|1298.—WHEREAS M/s. T. G. L. Gopalsetty Polytechnic, Adoni-518301, Kuroad Distt. (AP/18638) have applied for exemption under subsection 2(A) of Section 17 of the Employeee' Provident

Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishment is, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule, II annexed hereto, I B. N. SOM, hereby exempt the above said establishment with retrospective effect from which date relaxation order under Para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh from the operation of the said Scheme for and upto a period of 3 years from 1-12-90 to 30-11-93.

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-Section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, if employed in his establishment the empolyer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amouts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, in employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation

8. No amendment of the Provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees' his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Coropration of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s) legal/heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

No. 2/1959/DLI/Exemp.(89)Pt.1(1306.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishment is, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishment and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, B. N. SOM, hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE-I

S. No.	Name & Address of the Estt.	Code No.	No. & Date of the Govt's Notification vide which exemption was granted/ extended.	Date of expiry earlier exemption	Period for exemption further extended	C.P.F.C.s. File No
1.	M/s National Mineral Development Corporation Ltd., Khanij Bhavan, 10-3-311/A, Castle Hills Masab Tank, Hyderabad—500028 (AP) & (including its all branches having Code No. KN/5712/MP MP/1444, MP/2278 & MP/2279)	AP/3676	2/1959/DLI/Exempt/ 89/1449 Pt. I dated 13-2-1990	27-8-91	28-8-91 to. 27-8-94	2/285/79-DLI
2.	M/s. Andhra Pradesh State Police Housing Corporation Ltd., Director General of Police Office compound Saifabad, Hyderabad-500004	AP/6149	2/1959/DLI/Exemp/ 89/Pt. I/7865 dated 26-10-1990	28-2-90	1-3-90 to. 28-2-93	2/2910/90-DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-Section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, if employed in his establishment the empolyer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, th mployer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation

8. No amendment of the Provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees' his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Coropration of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

No. 2/1959/DLI/Exemp.|89|Pt-I|1314.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act):

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishment is, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme):

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt each of the said mentioned in Schedule-I against each from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the R.P.F.C. Gujarat from the operation of the said scheme for a period of 3 years.

SCHEDULE-I

Region : Gujarat

Sl. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	Effective date of exemption	C. P. F. C' File No.
1.	M/s. The Surat District Co-op. Spg. Mills. Ltd., Varachha Road, Surat-395006	GJ/4148	1-7-88 to 30-6-91	2/3864/91
2.	M/s. Dia Zotex Plot No. 72 G. I. D. C. Pandesara Distt. Surat	GJ/16819	1-11-90 to. 31-10-93	2/3876/91

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-Section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, if employed in his establishment the empolyer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Schme, th mployer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the Provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees' his approval, give a reasonable oppotunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Coropration of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of such returns to the Regional Provident Fund Commissioner claims complete in all respect.

B. N. SOM,
Central Provident Fund Commissioner

DARGAH NAZIMKHWAJA SAHIB

ADMINISTRAION REPORT OF THE DARGAH COMMITTEE AJMER FOR THE YEAR 1988-89

Ajmer, dated the 23rd March, 1992

1. Introduction : It is my proud privilege to present before the Dargah Committee the Annual Report for the year 1988-89.

2. During the year under report the Dargah Committee consisted of the following :

(a) Janab M. S. Farooqi	President
(b) Janab Mohd. Zaman Arif	Vice-President
(c) Janab Ismail M. Bawla	Member
(d) Janab Hasan Sani Nizami	,,
(e) Janab Jan Mohd. Khan	,,
(f) Janab Rai Mian Chisty	,,
(g) Janab Shah Hussin Ahmed Ahmedi	,,
(h) Janab Khwaja Ahmed Nizami	,,
(i) Janab Abdul Rahman Khan Nastar	,,
(j) Lt. Col. Mohammad Osman	Secretary

3. Janab M. S. Farooqi and Janab Mohammed Zaman Arif were elected unanimously as Preident and Vice-President of Dargah Committee for the Year 1988-89.

4. Janab Abdul Rahman Khan Nastar of Kanpur expired on 6th October 1988 and till 31st March, 1989, no one was nominated as member of Dargah Committee in his place.

5. **Financial Position**

I give a comparative statement of financial position of the Dargah Khwasa Sahib for the year 1987-88, 1988-89 :

Opening balance	1st April, 1987	1st Apirl, 1988	
Current	4,85,494 .00	9,43,019 .00	(includes loan from CWC Rs.5 lacs)
Fixed Deposits	5,31,000 .00	10,61,371 .00	
Securities	2,000 .00	2,000 .00	
Total	10,18,494 .00	20,06,390 .00	
Receipts :	1987-88	1988-89	
Revenue	26,90,255 .00	29,44,977 .00	(includes
Capital	35,652 .00	1,57,101 .00	1 lac from
Loan	5,00,000 .00	5,00,000 .00	Chief Minister of J&K and donation of 3 rooms)
Total	32,25,907 .00	36,02,078 00	
Expenditure during the year	1987-88	1988-89	
Revenue	20,65,162 .00	21,05,490 .00	
Capital	1,72,849 .00	7,45,122 .00	
Total	22,38,011, 00	28,50,612 .00	
Closing balnce as on	31 March 1988	31 March, 1989	
Current	9,43,019 .00	9,54,484 .00	
Fixed Depoits	10,61,371 .00	18,01,371 .00	
Securities	2,000 .00	2,000 .00	
Total	20,06,390 .00	27,57,855.00	

6. Re-plastering of Guleand Sharif

The work of replastering of Gumbad Sharif was taken up by the Dargah Committee during last week of September 1988 and has been completed on 31st January 1989. Artisan worked daily for about four months (Old Sandla Plaster) was completely removed. Fresh Araish work has been done. Earlier the gold work was done on the Sandia itself. Now for longer life and durability, the gold work has been done on Copper Plates. New lights have been fitted.

7. Cinstruction of shopping-cum-residential complex at Dargah Bangalow, Civil Lines, Ajmer.

The construction work is in progress since May 1988. The project includes 11 shops, 2 Halls and 4 one-room sets on the ground floor. On the first and second floor, there will be 12 independent flats.

8. Introduction of Provident Fund Scheme and rationalisation of Pay structure for the Dargah Employees :

Although there has been a substantial increase in the salary of staff during the last six years, it has not been commensurate with the increase in the price index, and pay and allowances of the employees of other similar instituions like Wakf Boards, Masajid Committee (Ajmer) and Central Wakf Council New Delhi. Therefore proposals for rationalisation of pay structure and introduction of Provident Fund Scheme in accordance with the resources of the Dargah Administration have been approved by Dargah Committee in its meeting held on 9 & 10th Oct, 1988 vide resolution No. 15. Pay revision has been implemented., P.F. rules are under consideration of Dargah Committee.

9. Deep Boring at Jhalra :

Cleaning of Jhalra was done in right earnest with the help of the district administration. Deep boring was also done this time. This proved very useful in augmenting the supply of water.

10. Urs Mubarak of Hazarat Khwaja Moinuddin Chishty (RA) :

Urs of Khwaja Moinuddin Hasan Chishty (RA) Gharib Nawaz commenced on 1st Rajab 1409 (Hizri) corresponding to 8th February 1989 and was over after Bare Qul on 9th Rajab corresponding to 16 February 1989. During the first three days of the Urs, there was rather steady flow of Zaireen but on the fourth day the influx of the Zaireen increased suddenly. On 3rd Rajab and 10th Rajab near about 2·1/2 lakh Zaireen participated in Friday prayer. Every thing went on extremely well and Fridays prayer passed off peacefully due to strict vigilance and elaborate administrative arrangements made by the Dargah and District Administration. The Dargah Adminsitration has installed about 400 load-speakers. well beyond Mahaveer Circule Clock Tower, Tripalia Gate in anticipation of the expected larger crowd than last year. The close Circuit TV Set was installed inside Dargah Shareef by the Dargah Administration. The Qul was held on 6th Rajab corresponding to 13th February 1989. All ceremonies and rituals were held as per traditions and procedure laid down were performed well. All arrangements, in particular, Police, water supply, electricity, Hygiene, sanitation and cleanliness were good and remained satisfactory throughout the Urs Sharif.

The following departments were established first time within the premises of Guest House :

Bank Counter, Post Office, Telegraph Office and Road ways Reservation Counter.

The services of All India Scouts, Bharat Scouts and Guides from Allahabad and local Scouts were requisitioned who worked with great zeal and devotion. An enquiry point was established at Buland Darwaza and functioned round the clock. They helped to hand over of lost children to their parents and guided the Zaireen in various ways.

Five Dispensaries were opened for free treatment of Zaireen within the premises of Dargah.

The Pakistani delegation consisting of 150 Zaireen, who attended the Urs Mubarak and covered Chader at the Holy Shrine.

11. Rituals of Dargah Sharif :

The Mahafil of Annual Urs Sharif of Khwaja Moinuddin Chisbty and Peer-O-Murshid Khwaja Usman Harooni (RA) and other Mahafil of Thurdays, Chhati Sharif, Chaudhween Sharif were performed satisfactorily. The Airas of Khulfaen-Rashedeen, Id Milaun Nabi, Muharram Sharif etc. were observed with solemnity.

12. Audit accounts :

Audit of Dargah Accounts for the year 1988-89 has been carried out by the Accountant General Rajasthan. The Accounts were maintained properly. There have not been any serious objection/observation. The separate Audit Report for the year under report is annexed herewith.

13. VIPs :

Few of the VVIPs and VIPs who visited the holy Shrine to pay their homage to Khwaja Saheb during the year under report are given below :

1. H. E. Shri Rajiv Gandhi	Prime Miniter of India.
2. H. E. Shri Prem Dassa	Prime Minister of Sri Lanka
3. Dr. Farooque Abdullah	Chief Minister of J&K
4. Dr. Rajendra Kr. Bajpai . . .	State Miniter of Welfare Govt. of India, New Delhi.

14. Welfare activities & Financial Aid :

The following major expenses on Welfare and Social activities have been incurred during the year 1988-89.

(a) Stipend to Medical & Technical Students :

A sum of Rs. 17,730/- has been given to 15 students as per Merit-Cum-Means Scholarship at the rate of Rs. 100/- per month.

(b) Stipend to widows and needy :

A sum of Rs. 47,368/- was given to 170 widows of Khadims and Non-Khadims, Peerzadganz, local and outside of Ajmer.

(c) Tajheez-O-Takfeen :

A sum of Rs. 18,466/- has been spent on burial of unclaimed bodies and of those who could not afford the expenses.

(d) Aid of Rs. 18,646/- to poor students, poor parents, Sadir-O-Warid, victims of theft, pick-pockets etc. has been given during the year.

(e) Rs. 500/- per month were paid to Managing Committee, Mohammed Ali Memorial Senior Hr. Sec. School, Beawar for imparting religious education in the Institution.

(f) Medical aid to Staff and others :

A sum of Rs. 6,848/ was disbursed on account of Medical aid to staff and others.

(g) Supply of medicine and maintenance of dispensaries :

The Dargah Committee is running full-fledged free dispensaries of Homeopathic and Unani. A sum of Rs. 27,800/- was spent on running the two dispensaries.

15. Langer in Ramzan and Iftar :

Three hundred poor Rozadars have been given two sumptuous meals daily during the Ramzan. Beside this Iftari including Ice, Sugar, Khajur for Central Jail Prisoners who observed fast, was arranged throughout the month of Ramzan. A sum of Rs. 22,100/- has been spent on this account.

16. Daily Langer :

Langer in the Dargah Sharif is distributed twice daily to all without any discrimination. The expenditure for the year 1988-89 amounted to Rs. 90,950/-.

17. Meetings of Dargah Committee :

Four meetings were held during the year under report. An Emergency Meeting was also held in January 1989 to interview the candidates for the post of Nazim.

18. Conclusion :

The all-round improvements in the administration is mainly due to the able guidance of the President, Vice President and Members of Dargah Committee and cooperation given by all members of the Staff by working honestly and sincerely.

I thank all of them.

(Sd./-) Illegible
Nazim Dargah Khwaja Saheb, Ajmer

Audit Report on Dargah Khwaja Sahib, Ajmer for the year 1988-89.

1. INTRODUCTORY.:

1.1 For proper administration of Dargah and endowment of the Khwaja Moinuddin Chisty, popularly known as Dargah Khwaja Sahib, Ajmer, The Dargah Khwaja Sahib Act was passed by the Parliament in 1955. As per provisions of the Act, the Dargah endowment includes :—

(a) Dargah Khwaja Sahib, Ajmer.

(b) All buildings and movable property within the boundaries of Dargah Sharif.

(c) Dargah Jagir including all land, houses and shops and all movable property whenever situated, belong to Dargah Sharif,

(d) All other property and all income derived from any source dedicated to the Dargah or placed for any religious, pious or charitable purposes under the Dargah administration including the Jagirdari villages of Hokran and Kishanpura in Ajmer, and

(e) all such 'nazar' and offerings as are received on behalf of the Dargah by the Nazim or any other person authorised by him.

1.2 The administration, control and management of the Dargah endowment is vested in a Committee named as 'the Dargah Committee, Ajmer'. The Committee exercises its function through the Nazim appointed by the Central Government in Consultation with the Committee. The Nazim is the Chief Executive Officer of the Dargah administration who also acts as Secretary of the Committee.

1.3 Under Section 19(1) of the Act *ibid*, the accounts of the Dargah are required to be audited every year by such persons and in such a manner as the Central Government may direct. The Central Government has entrusted the audit to the Comptroller and Auditor General of India under the provisions of Section 20 (1) of the C.A.G.'s (DP&C) Act, 1971.

1.4 Section 19(2) of the Dargah Khwaja Sahib Act, 1955 envisages that the Committee shall every year prepare a report on the administration of the Dargah, which, together with the accounts of the Dargah and the report of the auditor thereon, shall be published in the official gazette.

2. Summary of transactions.

The opening balance at the beginning of the year was Rs. 20.06 lakhs (including securities and fixed deposits of Rs. 10.63 lakhs). The total receipts during the year amounted to Rs. 36.02 lakhs. After meeting the expenditure of Rs. 28.50 lakhs minus Rs. 7.70 lakhs invested in fixed deposits), there was a closing balance of Rs. 27.58 lakhs at the end of 31 March 1989, out of which Rs. 18.03 lakhs stood invested in securities and fixed deposits.

3. Non-preparation of Income and Expenditure Account on accrual basis.

The Dargah administration prepared only a statement of actual income and expenditure for the year 1988-89. The Income and Expenditure Account should have been prepared on accrual basis, where all income, whether received or not, if taken credit for and the expenditure, whether paid or not, for the year in question is charged. Thus the accounts prepared by the Dargah administration were in fact the Receipts and Payments account. The discrepancy was also pointed out last year. The matter was referred by the Nazim to the Ministry of Welfare, New Delhi for approving the current method of preparing the accounts. It was intimated (November 1989) by Nazim that reply from the Ministry was received and the matter was to be put up before Dargah Committee in December 1989 for favour of approval of the existing system.

4. Non-preparation of Balance Sheet.

The Dargah administration had not prepared the Balance Sheet since inception, with the result that the exact position of assets and liabilities of the Dargah Khwaja Sahib at the close of 1988-89 was not ascertainable. Despite the fact that / this short-coming was brought to the notice of the Dargah Administration every year through Audit and Inspection Reports, no action was taken for the preparation of Balance Sheet so far (November 1989). It was intimated (November 1989) by the Nazim that the matter would be considered in the forthcoming meeting of the Dargah Committee.

Besides various immovable properties, there are many costly items of gold and silver in the 'Gumbad Sharif", main Toshakhana and subsidiary Toshakhana of the Dargah, the accountal and exhibition thereof is essential in the books of accounts of the Dargah Khwaja Sahib in order to reflect complete picture of the assets.

Place : Jaipur
Date : 5 December 1989.

P. K. BRAHMA
Accountant General (Audit)-I

Audit Certificate

I have examined the Receipts and Payments Accounts of Dargah Khwaja, Sahib, Ajmer for the year ending 31st March 1989. I have obtained all the information and explanations that I have required, and subject to the observations in the appended Audit Report. I certify, as a result of my audit, that in my opinion these accounts are properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of Dargah Khwaja Sahib, Ajmer, according to the best of information and explanation given to me and as shown by the books of the organisation.

Place : Jaipur
Date : 5 December 1989.

P. K. BRAHMA
Accountant General (Audit)-I
Rajasthan, Jaipur

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1992
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1992